राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(7)नविदि/3/2009पार्ट–II   जयपुर, दिनांक :- 04 OCT 2013

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम,
समस्त।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

विषय :– राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड समिति 11वीं बैठक दिनांक 01.10.2013 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से शुल्क लिये जाने के संबंध में नीति तैयार कर इसे भवन विनियमों में सम्मिलित किये जाने के आदेश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

उक्त आदेश भवन मानचित्र अनुमोदन के उन सभी प्रकरणों पर लागू होंगे, जिनमें नगरीय निकाय द्वारा जारी मांगपत्र की राशि जमा नहीं करायी गई है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रकाश चन्द शर्मा) 4/10/2013
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त स्थानीय निकायों को उपरोक्तानुसार निर्देशित किये जाने हेतु।
5. आयुक्त, राजस्थान, आवासन मण्डल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

4.10.2013
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, अवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट–II   जयपुर, दिनांक :– 4 OCT 2013

आदेश

नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड समिति की 11वीं बैठक दिनांक 01.10.2013 के आईटम नं. 8 पर बहुमजिले भवनों में 60 मीटर से अधिक ऊंचाई अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय की अनुपालना में अधिकतम ऊंचाई के भवनो के भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने के लिए अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से निम्नानुसार शुल्क लिये जाने का भवन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधान किया जाता है :–

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढीकरण की दृष्टि से निम्नानुसार शुल्क देय होगा :–

क्र. सं.	प्रस्तावित भवन की ऊंचाई	देय शुल्क (एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर प्रति वर्गमीटर)
1.	15 मीटर से अधिक परन्तु 40 मीटर तक	100 रूपयें प्रति वर्गमीटर
2.	40 मीटर से अधिक परन्तु 60 मीटर तक	(क) 40 मीटर तक एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 100 प्रति वर्गमीटर की दर से (ख) 40 मीटर से अधिक 60 मीटर तक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 150 रूपयें प्रति वर्गमीटर
3.	60 मीटर से अधिक	(क) 40 मीटर तक एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 100 प्रति वर्गमीटर की दर से (ख) 40 मीटर से अधिक 60 मीटर तक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 150 रूपयें प्रति वर्गमीटर (ग) 60 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 200. रूपयें प्रति वर्गमीटर

टिप्पणी :–

(i) उक्त राशि भवन विनियमों के अन्तर्गत देय बेटरमेन्ट लेवी/अन्य शुल्कों के अतिरिक्त देय होगी।